I/74807/2022

EAST CENTRAL RAILWAY

कार्यालय
महाप्रबंधक(का)
हाजीपुर

PCPO's Sl No.95/2022

No.ECR-HQ0PERS (RULE)/8/2022 Com.No.162637)

1. CAO (Con.)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD/पूमरे/हाजीपुर।
3. DRM/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूमरे/हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/पीडी/डीडीयू, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर एवं हरनौत।
7. Sr.DPO/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
9. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पूमरे/हाजीपुर।

विषयः-Calculation of per Capita Charges{per Card Holder(family)}for providing Medical Facilities to certain beneficiaries in Railway Hospital/Dispensaries

संदर्भः-Railway Board's letter No.2020/H-1/2/5/Per Capita Dated: 22-07-2022

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information, guidance and needful onward action please.

DA: As above.

Digitally Signed by Manoj Ku Choudhary
Date: 17-08-2022 16:48:24
Reason: Approved

(मनोज कुमार चौधरी)
सकाधि/ईसीएच
कृते महाप्रबंधक (का0)/हाजीपुर

प्रतिलिपि/– निम्नलिखित को सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पूमरे/हाजीपुर।
2. महासचिव/एस.सी.एवं एस.टी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।
3. सकाधि(एम.पी.पी.)/पूमरे/हाजीपुर–कृपया इसे वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।

1398117/2022/O/o PCPO/HQ/ECR

महाप्रबंधक (प्रशासन)
पूर्व-मध्य रेल
01 AUG 2022

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

1450
01 AUG 2022

आजादी का अमृत महोत्सव

रेलवे बोर्ड का पत्र

No. 2020/H-1/2/5/per capita

01/08/2022

New Delhi, dated 22 .07.2022

The General Managers,
All Indian Railways/Production Units
The Director General, RDSO, Lucknow, The CAO(R), DMW, Patiala,
& The CAO/RWP/Bela.

Sub: Calculation of per capita charges {Per Card Holder (family)} for providing Medical Facilities to certain beneficiaries in Railway Hospital/Dispensaries.

Ref: Board's letter of even no. dated 25.11.2014, 27.05.2016, 20.12.2017, 26.06.2018, 17.06.2019, 28.10.2020 & 31.08.2021.

In terms of Para 610(3) of IRMM-2000, Medical attendance and treatment facilities are available to the staff and the members of their families of the Cooperative Credit Societies and Banks on per capita charge basis. Similarly, as per Para 610(5) of IRMM-2000, Indoor Medical facilities to the family members of quasi-Railway organization, as mentioned in para 610(1) of IRMM-2000, are available on payment of per-capita charges.

The per capita charges {Per Card Holder (family)} is calculated on the basis of total expenditure on medical services (excluding health services) incurred on Railway employee in India during the previous financial year.

Ruling

Accordingly, the per capita charges {Per Card Holder (family)} for the financial year i.e. 2021-22 are Rs. 17,304/- p.a.

This issues with the concurrence of Finance Directorate of Railway Board.

(P.M.Meena)
Jt. Director/Health
Railway Board
TELE No.:011-47843222
Email ID:pooranmal.meena@gov.in
4th Floor, Room No. 12

No. 2020/H-1/2/5/per capita

New Delhi, dated 22 .07 .2022

Copy for information & necessary action to:

1. The Principal Chief Medical Directors/CMOs/CMSs., All Indian Railways & Production Units.
2. The Principal Chief Personnel Officers, All Indian Railways & Production Units.
3. The Principal Finance Advisers, All Indian Railways & Production Units.
4. The Director of Audit, All Indian Railways & Production Units.
5. The Dy. Comptroller & Auditor General of India(Railways),Room No. 222, Rail Bhawan, New Delhi

for Member Finance/ Railway Board

Copy for DDF(E)1& F(E) Spl., Railway Board

Railways Offices Complex, Tilak Bridge, New Delhi-110002

1398117/2022/O/o PCPO/HQ/ECR

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. 2020/एच-1/2/5/पर केपिटा

नई दिल्ली, दिनांक 22.07.2022

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
महानिदेशक, अ.अ.मा.सं., लखनऊ, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर), डीएमडब्ल्यू, पटियाला,
एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/आरडब्ल्यूपी/बेला।

विषय: रेल अस्पतालों/औषधालयों में कुछ लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रति व्यक्ति प्रभार {प्रति कार्ड होल्डर (परिवार)} की गणना।

संदर्भ: बोर्ड के दिनांक 25.11.2014, 27.05.2016, 20.12.2017, 26.06.2018, 17.06.2019, 28.10.2020 एवं 31.08.2021 के समसंख्यक पत्र।

आईआरएमएम-2000 के पैरा 610(3) के अनुसार, सहकारी क्रेडिट समितियों और बैंकों के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए प्रति व्यक्ति प्रभार के आधार पर चिकित्सा सेवा एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी प्रकार, आईआरएमएम-2000 के पैरा 610(5) के अनुसार, अर्ध-रेलवे संगठन के परिवार के सदस्यों के लिए आईआरएमएम-2000 के पैरा 610(1) में यथा उल्लिखित, प्रति-व्यक्ति प्रभार का भुगतान करने पर आंतरिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं।

प्रति व्यक्ति प्रभार की गणना {प्रति कार्ड धारक (परिवार)} पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत में रेल कर्मचारियों की चिकित्सा सेवाओं (स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़ कर) पर हुए कुल खर्च के आधार पर की जाती है।

तदनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रति व्यक्ति प्रभार {प्रति कार्ड धारक (परिवार)} 17,304/- रुपये प्रति वर्ष है।

इसे रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(पी. एम. मीना)
संयुक्त निदेशक/स्वास्थ्य
रेलवे बोर्ड
टेली नं.: 011-47843222
ई मेल आईडी: pooranmal.meena@gov.in
चौथा तल, कमरा नं. 12

सं. 2020/एच-1/2/5/पर केपिटा

नई दिल्ली, दिनांक 22.07.2022

सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/सीएमओ/सीएमएस, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
2. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
3. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
4. लेखापरीक्षा निदेशक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
5. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सदस्य वित्त/रेलें

प्रतिलिपि डीडीएफ (ई)1 एवं एफ (ई) विशेष, रेलवे बोर्ड को प्रेषित